तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज जगदीश विश्नोई बनाम लो.सू.अ.(उपखण्ड अधिकारी बाप) सू.अ.अ. अपील संख्या 238 / 2020	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.01.21	अपीलार्थी जगदीश विश्नोई पुत्र ठाकरराम विश्नोई, पता खिलेरी कृषि फार्म, बाईपास रोड़,चौहटन तहसील चौहटन जिला बाड़मेर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 24.09..20 में उसके द्वारा (1) भारतमाला प्रोजेक्ट योजना के तहत आपके क्षेत्राधिकार में किसानों को भूमि अवाप्ति अवार्ड राशि जिन जिन किसानों को दी गई मय नाम, पिता का नाम, खसरा नम्बर एवं अवार्ड राशि सहित प्रमाणित सूची व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी बाप) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी बाप) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी बाप) आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी बाप) को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित सूचना अपीलार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	